Frequently Asked Questions [FAQ] (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

प्रश्न-1 : क्या मध्यप्रदेश राज्य के अलावा अन्य राज्य के मूल निवासी विद्यार्थि इस योजना का लाभ ले सकते है?

उत्तर :- नहीं, यह योजना मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के लिए ही है।

प्रश्न-2 : क्या विद्यार्थियों के पिता/पालक की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक होने पर योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर :- नहीं, पात्रता हेतु विद्यार्थी के पिता/पालक की समस्त स्त्रोतों से आय रूपये 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये।

प्रश्न-3 : क्या माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों योजना का लाभ ले सकते हैं।

उत्तर :- नहीं, इस योजना का लाभ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए है।

प्रश्न-4 : क्या CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों योजना का लाभ ले सकते हैं।

उत्तर :- नहीं, यह योजना CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए है।

प्रश्न-5 : क्या जे.ई.ई. मेंस परीक्षा में 50 हजार या उससे अधिक रैंक वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर :- नहीं

प्रश्न-6 : सर मेरी जे.ई.ई. मेंस परीक्षा में 50 हजार से कम रैंक है और मैंने पृथक प्रवेश परीक्षा के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज मे प्रवेश लिया है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हू?

उत्तर :- हाँ, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं परन्तु बाकि सभी पात्रता पूर्ण करना आवश्यक है ।

प्रश्न-7 : क्या इस योजना का लाभ सामान्य जाति के विद्यार्थियों भी ले सकते हैं?

उत्तर :- हाँ, इस योजना का लाभ सभी जाति के विद्यार्थी ले सकते है।

प्रश्न-8 : सर मैंने 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा 2016 मे 78 प्रतिशत अंकों के साथ पास की है तो क्या में इस योजना का लाभ ले सकता हूँ?

उत्तर :- नहीं, यह योजना वर्ष 2017 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा केन्द्रीय शिक्षा मण्डल/आईसीएसई के अन्तर्गत 12वीं परीक्षा निर्धारित अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले छात्रों हेतु लागू होगी।

प्रश्न-9 : सर मैंने नीट (NEET) सत्र-2017 की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ?

उत्तर :- हाँ, आप इस योजना का लाभ ले सकते है परन्तु बाकि सभी पात्रता पूर्ण करना आवश्यक होगा।

प्रश्न-10 : क्या शासकीय एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए बांड भरना अनिवार्य है ?

उत्तर :- हाँ, इस योजना का लाभ लेने के लिए बांड भरना अनिवार्य है। बांड की शर्ते हेतु विस्तृत आदेश का अध्ययन करने का कष्ट करें।

प्रश्न-11 : सर मैंने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट सत्र-2017 की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ?

उत्तर :- हाँ, आप इस योजना का लाभ ले सकते है यदि आपने CLAT के माध्यम से प्रवेश प्राप्त किया है इसके अतिरिक्त बाकि सभी पात्रता पूर्ण करना आवश्यक होगा।

प्रश्न-12 : सर अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा?

उत्तर :- अगर आप इस योजना की पात्रता रखते है तो www.scholarshipportal.mp.nic.in पर जाकरअप्लाई कर सकते है।

प्रश्न-13 : क्या इंजीनियरिंग कॉलेज की राज्य अथवा राज्य के बाहर की किसी भी संस्था मे प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर :- हाँ, परन्तु बाकि सभी पात्रता पूर्ण करना आवश्यक होगा।

प्रश्न-14 : क्या बी.एस.सी, बी.ए, बी.कॉम, नर्सिंग तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रमो के लिए पात्रता मिलेगी?

उत्तर :- नहीं, केवल मध्यप्रदेश शासन की किसी भी संस्था मे स्नातक पाठ्यक्रम मे प्रवेश लेने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

प्रश्न-15 : क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज मे प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर :- पॉलिटेक्निक कॉलेज मे प्रवेश 12वीं की परीक्षा के आधार पर होने वाले पाठ्यक्रमो मे यह पात्रता लागू होगी।

प्रश्न-16 : क्या किसी भी मेडिकल कॉलेज मे प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर :- केवल केंद्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश मे स्थित प्राइवेट कॉलेज के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम मे प्रवेश प्राप्त करने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

प्रश्न-17 : सर ये योजना कब से प्रारंभ की गयी है ?

उत्तर :- वर्ष 2017 से ।

प्रश्न-18 : सर ये योजना किसके द्वारा संचालित की गयी है ?

उत्तर :- मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा ।

प्रश्न-19 : सर क्या हमें आवास और खाने का पैसा हमें सरकार द्वारा दिया जायेगा ?

उत्तर :- कॉलेज की पूरी फीस (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी छोड़कर) राज्य शासन द्वारा वहन की जावेगी।

प्रश्न-20 : आवेदन करते समय हमें क्या-क्या दस्तावेज जमा करने होंगे ?

उत्तर :- निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे

- निवासी प्रमाण-पत्र
- 12वीं की अंक सूची
- निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र
- आधार नम्बर

प्रश्न-21 : सर क्या इस योजना का लाभ स्वाध्यायी छात्रो को भी मिल सकता है ?

उत्तरः- हाँ , स्वाध्यायी रूप से उत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा जमा किये गये निवासी प्रमाण-पत्र का भौतिक सत्यापन नोडल संस्था द्वारा किया जावेगा ।

प्रश्न-22 : सर क्या हम अस्थाई रूप से मध्यप्रदेश में अध्ययन करते हुए इस योजना का लाभ ले सकता हू ?

उत्तर :- हाँ, यदि विद्यार्थी निम्नलिखित पात्रता की शर्ते पूर्ण करता हों:-

- विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो।
- विद्यार्थी पिता/पालक की आय 6 लाख रूपये से कम हो।
- विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो।
- विद्यार्थी का आधार नम्बर हो।